राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3972 / 2025

1. डॉ. युसुफ अली देवड़ा
2. डॉ. अशोक कुमार
3. डॉ. देवेन्द्र दाधीच
4. डॉ. महेश कुमार
5. डॉ. हरि सिंह खेदार
6. डॉ. मदन सिंह
7. डॉ. दर्शन कुमार भार्गव
8. डॉ. मनसा राम सारण
9. डॉ. शिवपाल सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस.राघव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी के रूप में हुई थी और उसके बाद राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद के निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार अपीलार्थीगण को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नामित किया गया था। अपीलार्थीगण श्री कल्याण राजकीय अस्पताल, सीकर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे थे और 2018 में श्री कल्याण राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सीकर की स्थापना के बाद, शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपरोक्त चिकित्सा महाविद्यालय में संकाय की आवश्यकता थी और नव स्थापित मेडिकल कॉलेज में संकाय की आवश्यकता के लिए श्री कल्याण राजकीय अस्पताल, सीकर में कार्यरत वरिष्ठ विशेषज्ञों को शैक्षणिक कर्तव्यों के निष्पादन के बाद संकाय के रूप में नामित किया

गया था और उसी पाठ्यक्रम के लिए अपीलार्थीगण को एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर के पद पर भी नामित किया गया था। उनका स्थानांतरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया और वे आज तक यहीं कार्यरत है। तत्पश्चात, उन्हें उनके विषयों में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। (अनुलग्नक–1)। भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता (संशोधन) विनियम, 2012" नामक एक नियम बनाया है। उक्त अधिसूचना के अनुसार, एक परामर्शदाता या विशेषज्ञ, उसमें उल्लिखित कुछ नियमों और शर्तों के अधीन, "नामित प्रोफेसर" और उसके बाद प्रोफेसर के समकक्ष माने जाने का हकदार है। अधिसूचना का प्रासंगिक भाग, जो विशेषज्ञ को नामित प्रोफेसर और उसके बाद प्रोफेसर के समकक्ष माने जाने से संबंधित है, इस प्रकार है; "किसी परामर्शदाता या विशेषज्ञ के समकक्ष माने जाने के लिए अपेक्षित अनुभव (विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि प्राप्त करने के बाद) राज्य सरकार/केंद्र सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन वाले न्यूनतम 300 बिस्तरों वाले गैर–शिक्षण जिला अस्पतालों में संबंधित विशेषज्ञता में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसके पास प्रथम लेखक या संवाददाता लेखक के रूप में अनुक्रमित जर्नल में चार शोध प्रकाशन होने चाहिए। ऐसे परामर्शदाता या विशेषज्ञ को, किसी मेडिकल कॉलेज में कार्यभार ग्रहण करने के बाद, "नामित प्रोफेसर" कहा जाएगा और नामित प्रोफेसर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव पूरा करने पर, ऐसे व्यक्ति को "प्रोफेसर" के रूप में नामित किया जाएगा। एमसीआई की अधिसूचना दिनांक 22.1.2018 के अनुसार 2012 के नियमों में और संशोधन किया गया है (अनुलग्नक–2)। प्रोफेसर के रूप में सलाहकार या विशेषज्ञ के लिए, पात्रता मानदंड इस प्रकार हैः "राज्य सरकार/केंद्र सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन वाले 300 बिस्तरों वाले गैर–शिक्षण जिला अस्पताल में संबंधित विशेषता में काम करने वाले सलाहकारों/विशेषज्ञों (विषय में स्नातकोत्तर डिग्री रखने के बाद) के लिए अपेक्षित अनुभव एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में इंडेक्स जर्नल में 2 शोध प्रकाशनों के साथ 10 साल से अधिक का अनुभव होगा। मेडिकल कॉलेज में शामिल होने के बाद ऐसे सलाहकार या विशेषज्ञ को "एसोसिएट प्रोफेसर" के रूप में नामित किया जाएगा और "प्रोफेसर" के रूप में नामित होने के लिए 18+3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। अपीलार्थी "प्रोफ़ेसर" के रूप में नामांकित होने के पूर्णतः पात्र और हकदार हैं। अपीलार्थीगण ने इंडेक्स्ड जर्नल में अपेक्षित प्रकाशन प्रकाशित किए हैं। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी संख्या 4 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को इस आशय का एक पत्र भेजा और "प्रोफ़ेसर" के रूप में उनके नामांकन की अनुशंसा की, क्योंकि उन्होंने 3 वर्ष का अनुभव पूरा कर लिया है

(अनुलग्नक–3)। अपीलार्थीगण पूरी तरह से योग्य हैं और प्रोफेसर के नामांकन के नियमों के अनुसार अपेक्षित अनुभव रखते हैं। इसके अलावा कार्यालय आदेश दिनांक 23.12.2021 (अनुलग्नक–4) के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग ने समान स्थिति वाले एसोसिएट प्रोफेसरों को भी प्रोफेसर के रूप में नामित किया है। अपीलार्थीगण ने इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को कानूनी नोटिस भेजा (अनुलग्नक–6), लेकिन आज तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 30.06.2025 (अनुलग्नक–7) की अपनी अधिसूचना के माध्यम से चिकित्सा संस्थान (संकाय योग्यता) विनियमन, 2025 लागू कर दिया है, जिसके तहत "220+ बिस्तरों वाले गैर–शिक्षण सरकारी अस्पतालों को अब शिक्षण संस्थान के रूप में नामित किया जा सकता है। 10 साल के अनुभव वाले मौजूदा विशेषज्ञों को एसोसिएट प्रोफेसर और 2 साल के अनुभव वाले विशेषज्ञों को सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, अनिवार्य सीनियर रेजीडेंसी के बिना, बशर्ते वे दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बेसिक कोर्स पूरा कर लें"। अपीलार्थीगण ने विनियमन 2018 में प्रदत्त सभी नियमों और शर्तों को पहले ही पूरा कर लिया है और विनियमन 2025 के अनुसार, वे नियत तिथि अर्थात अगस्त, 2022 से प्रोफेसर के रूप में नामित होने के लिए पूरी तरह से पात्र हैं। एनएमसी अधिसूचना, 2025 के अनुसार, शिक्षण संकाय भी संकाय के रूप में 3 वर्ष पूरा करने के बाद डीएनबी/डिप्लोमा प्रोफेसर के रूप में नामित होने के पात्र हैं, कुछ डीएनबी/डिप्लोमा के रूप में, क्योंकि अपीलार्थीगण 6 वर्षों से डीएनबी/डिप्लोमा संकाय के रूप में भी कार्यरत हैं।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में

नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)